#933

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर ,कपासन जिला – चित्तौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी , ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - हिंगोरिया

धारा अन्तर्गत – 136 प्र.सं. 624 दायर दिनांक **03.10.2025** निर्णय दिनांक **03.10.2025**

क्र.म..	नाम- ग्राम	खा.न.	रिपोर्ट			कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	हिंगोरिया	465	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेष कमांक/2025–26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेषन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसालीदर कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्ययीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम हिंगोरिया ग.ह. हिंगोरिया खाता संख्या 465 में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी		
			बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक	**राजस्थान ग्रामीण बैंक**		
			हस्ताक्षर पटवारी 3/10/25 पटवारी तह.कपासन, जिला चित्तौडगढ	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन

3-10-2025

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन, जिला-चित्तौडगढ